

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

अधिसूचना

पटना, दिनांक -

सं०सं०-16/ए.2-04/2026 -

(आ०चि०)/स्वा०/डा० **रुबी** **हेम्ब्रम,**

आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय श्री यतीन्द्र नारायाण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, नाथनगर, भागलपुर को अपने दायित्वों के अतिरिक्त बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 84 (पूर्व का नियम-148) के तहत राजकीय श्री यतीन्द्र नारायाण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, नाथनगर, भागलपुर के स्थापना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में अगले आदेश तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव

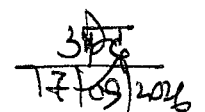
ज्ञापांक :-16/ए.2-04/2026 - 1402 - (आ०चि०)/पटना, दिनांक - 17.9.2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/प्राचार्य/अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक कॉलेज एव अस्पताल, बिहार/प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, पटना/अनुसंधान पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान ईकाइ, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति बिहार, पटना/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- डा० रुबी हेम्ब्रम, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय श्री यतीन्द्र नारायाण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, नाथनगर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव